न्यायालय संभागीय आयुक्त, भरतपुर

अपील संख्याः– 334/17 (RCMS No.2017/00355) (धारा 76राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956)

सोन्या पुत्र भोडू जाति मीना निवासी ग्राम वन्धा तहत तहसील व जिला सवाई माधोपुर

.....अपीलान्ट

बनाम

1. चिरंजी पुत्र रामपाल उर्फ रामगोपाल | जाति कुम्हार निवासी ग्राम बंधा तहसील
2. छोटया पुत्र रामपाल उर्फ रामगोपाल | व जिला सवाई माधोपुर
3. रामपाल उर्फ रामगोपाल पुत्र किशन्या जाति कुम्हार निवासी बन्धा हाल निवासी सेवारत पॅप फीटर, अनुभाग अभियन्ता विद्युत भण्डार एवं मरम्मत डिपो डी0आर0एम0 मण्डली प्रबन्धक, पश्चिमी– मध्य रेलवे मण्डल हबीबगंज मध्यप्रदेश
4. ग्राम पंचायत लोरवाड़ा तहसील एवं जिला सवाई माधोपुर जरिये सरपंच
5. सरकार जरिये तहसीलदार तहसील व जिला सवाई माधोपुर

..... रैस्पो0

अपील विरूद्ध निर्णय उप जिला कलक्टर सवाई माधोपुर दिनांक 29.05.2014 एवं नामा0 सं0 931 दिनांक 09.06.87

उपस्थितिः–

1. श्री श्याम सुन्दर गुप्ता वकील अपीलान्ट
2. श्री गंगा शंकर शर्मा वकील रैस्पो0 सं0 1 व 2

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

नि र्ण य दिनांकः– 27.11.2018

यह अपील भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत उप जिला कलक्टर सवाई माधोपुर के निर्णय दिनांक 29.05.2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि सरपंच ग्राम पंचायत लोरवाडा प.सं. व जिला सवाई माधोपुर द्वारा दिनांक 09.06.87 को रामपाल पुत्र किशन्या कुम्हार की विरासत चिरंजी छोटया पिसरान रामपाल कुम्हार के नाम नामा0 सं0 931 तस्दीक किया। इस आदेश के विरूद्ध अपीलान्ट ने उप जिला कलक्टर सवाई माधोपुर के न्यायालय में अपील पेश की। उप जिला कलक्टर सवाई माधोपुर ने यह माना कि अपीलान्ट का रामपाल से कोई संबंध नही है, न ही वह उसका वारिस है। अतः अपीलान्ट की अपील दिनांक 29.05.2014 को खारिज कर दी। इस आदेश के विरूद्ध यह अपील पेश की गयी है।

विद्वान वकील अपीलान्ट का तर्क है कि ग्राम पंचायत लोरवाला ने नामा0 सं0 91 की बिना जॉच किये तस्दीक किया है। रामपाल पुत्र किशन्या कुम्हार को फौत होना बताकर उसके लड़कों के नाम भरकर तस्दीक कर दिया जबकि खातेदार रामपाल कुम्हार जीवित है व रेलवे विभाग में नौकरी करता था। रैस्पो0 सं0 1 व 2 ने पटवारी हल्का से साज कर अपने पिता को फौत हो जाना बताकर गलत रूप से उसकी विरासत अपने नाम दर्ज करायी है। रामपाल की मृत्यु के बारे में कोई जानकारी नही की है। रैस्पो0 ने बैंक से ऋण भी उठा लिया है। रैस्पो0 1 व 2 की माता धापोबाई भी जीवित है तथा उसकी दो पुत्रियॉ भी जीवित हैं। उनका तर्क है कि नामा0 जैर अपील की आराजी ख0नं0 1/1/6 रकवा 5 बीघा ग्राम बंधा के हाल ख0 नं0 4, 5 व 6 कुल रकवा 1.26 है0 बनाये हैं जिन पर रैस्पो0 सं0 1 लगायत 3 का कभी कब्जा नही रहा है बल्कि अधिकांश भूमि पर अपीलान्ट का तथा कुछ भूमि पर ग्राम बंधा के ही राजाराम मीणा का कब्जा रहा है। सैटिलमेन्ट ने गलत रूप से मौके पर अपीलान्ट के कब्जे काश्त एवं खातेदारी की भूमि को अपने नाम दर्ज करवा लिया है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस पर गौर नही किया तथा अपीलान्ट एग्रीबड परसन है इसलिये उसे अवैध एवं गलत नामा0 के विरूद्ध अपील पेश करने का पूर्ण कानूनी हक एवं अधिकार है। अतः अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय 29.05.14 एवं नामा0 सं0 931 ग्राम बंधा खारिज किया जावे।

विद्वान वकील रैस्पो0 का तर्क है कि विवादित नामान्तरकरण विरासत का दर्ज किया गया है। अपीलान्ट का उससे किसी प्रकार का कोई लेना देना नही है। अपीलान्ट जाति से मीणा है और रैस्पो0 1 लगायत 3 कुम्हार हैं। अपीलान्ट का विवादित आराजी से कोई लेना देना नही है। अधीनस्थ न्यायालय ने इसी आधार पर ही अपीलान्ट की अपील खारिज की है। अपीलान्ट विवादित आराजी के खातेदार काश्तकार है। अपीलान्ट का उक्त आराजी से कोई संबंध नही है। अपीलान्ट जबरदस्ती रैस्पो0 की आराजी पर कब्जा करना चाहते हैं। अतः अपीलान्ट की अपील खारिज की जावे तथा हर दो अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय यथावत रखे जावे।

हमने उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकों की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। सरपंच ग्राम पंचायत लोरवाडा प.सं. व जिला सवाई माधोपुर द्वारा दिनांक 09.06.87 को रामपाल पुत्र किशन्या कुम्हार की विरासत चिरंजी छोटया पिसरान रामपाल कुम्हार के नाम नामा0 सं0 931 तस्दीक किया। इस आदेश के विरूद्ध अपीलान्ट ने उप जिला कलक्टर सवाई माधोपुर के न्यायालय में अपील पेश की। उप जिला कलक्टर सवाई माधोपुर ने यह माना कि अपीलान्ट का रामपाल से कोई संबंध नही है, न ही वह उसका वारिस है। अतः अपीलान्ट की अपील दिनांक 29.05.2014 को खारिज कर दी। पत्रावली के अवलोकन से यह जाहिर है कि अपीलान्ट मीणा जाति से हैं तथा रैस्पो0 1 लगायत 3 कुम्हार जाति से हैं। विरासत रामपाल कुम्हार की उसके वारिसान के नाम दर्ज की गयी है। विवादित नामान्तरकरण से संबंध में मृतक के वारिसान में से किसी को कोई आपत्ती नही है। अपीलान्ट को उक्त नामान्तरकरण के विरूद्ध अपील पेश करने का कोई लोकस स्टैण्डाई नही है। अपीलान्ट के उक्त विरासतन नामान्तरकरण से किसी प्रकार के हित प्रभावित नही हो रहे हैं। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट की अपील खारिज करने में किसी प्रकार

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

की त्रुटि नही की है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत् है। अतः अपीलान्ट की अपील खारिज किये जाने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 29.05.2014 एवं नामा0 सं0 931 दिनांक 09.06.1987 यथावत रखे जाते हैं।

निर्णय आज दिनांक 27.11.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुबीर कुमार)
संभागीय आयुक्त
भरतपुर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official